राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक :– एफ 61(9) SSAAT/संस्थापन/पार्ट फाईल /2020 जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

सोसायटी की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.5 के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(5) SSAAT/विविध/2019/7286–7409 दिनांक 04.03.2020 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया हैं।

अतः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के प्रावधानान्तर्गत एवं कार्यकारी समिति (SSAAT) की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 की निर्णय संख्या 1.5 की पालनार्थ इस सोसायटी के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(9) SSAAT/संस्थापन/2019/114–122 दिनांक 12.01.2021 द्वारा कार्यालय के कार्य सम्पादन हेतु श्री प्रदीप काला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को (उप निदेशक के पदस्थापन तक) कार्यालयध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया था।

शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धी निर्णयों की पुष्टि भी की जा चुकी है।

मैं, रामावतार शर्मा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, श्री प्रदीप काला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता हूँ एवं श्री सोहन लाल अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम को आहरण वितरण अधिकारी घोषित करता हूँ।

उपरोक्त अधिकारीगण सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय/कार्यकारी समिति के निर्णयों/दिशा–निर्देशों एवं राज्य सरकार में प्रचलित नियमों के प्रावधानान्तर्गत समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

कार्यालयाध्यक्ष सोसायटी के कार्यालय का संचालन नियमानुसार सुनिश्चित कराऐंगे और समस्त कार्यालय स्टाफ (अधिकारी/कर्मचारीगण मय संविदा कर्मियों) का समय पालन एवं कर्तव्य पालन पर निगरानी (Supervision) रखेंगे।

आहरण वितरण अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय कार्यो, लेखों, भुगतान कार्यो, भण्डार क्रय व संधारण सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी कार्य एवं अन्य समस्त कार्यो का नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

श्री प्रदीप काला सहायक लेखाधिकारी–प्रथम एवं श्री सोहन लाल अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) के समस्त कार्य हेतु दोनों एक दूसरे के लिंक अधिकारी रहेगें। दोनो अधिकारी एक दूसरे की अनुपस्थिति में अथवा समस्त कार्यालय में अनुपलब्ध होने पर समस्त कार्यों को करने हेतु अधिकृत एवं उत्तरदायी होगें।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)

क्रमांक :– एफ 61(9) SSAAT/संस्थापन/पार्ट फाईल /2020/162–173 जयपुर, दिनांक 21–01–2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष महो. शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
2. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (SSAAT)।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार राजस्थान।
4. निजी सचिव, सचिव ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय (G.B.), SSAAT।
5. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा को उनके निर्देशों एवं अनुमोदन के क्रम में सूचनार्थ।
6. निजी सचिव, निदेशक SSAAT।
7. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री प्रदीप काला सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) SSAAT जयपुर को पालनार्थ।
9. श्री सोहन लाल अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम, SSAAT जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे सोसायटी में किये जाने वाले भुगतानों, लेखा संधारण, विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बनाकर भिजवाने आदि कार्यों का समय पर उपरोक्त आदेश एवं यथा समय प्रदत्त आदेशों के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करेंगें और इस कार्य के साथ नरेगा योजना का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कराने का कार्य भी कर सकेंगे।
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय, प्रोग्रामर, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक SSAAT।
11. लेखा शाखा SSAAT।
12. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

E Drive//Gopal /karyala aadesh